

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर


आदेश

क्रमांक 903 / गोपनीय / 2024  
दो-3-67 / 2018

जबलपुर, दिनांक 31 जुलाई, 2024

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्रीमती रूचि सगर, चौबीसवें व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, जबलपुर के निवेदन पर नाम परिवर्तन "श्रीमती रूचि गोलस" करने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करता है। उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

  
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक 904 / गोपनीय / 2024  
दो-3-67 / 2018


जबलपुर, दिनांक 31 जुलाई, 2024

प्रतिलिपि:-

1. उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स हबीबगंज, भोपाल-6, को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
2. प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल- 462004, को सूचनार्थ अग्रेषित।
3. महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम (टी0एम0 अनुभाग), कार्यालय महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम, मध्यप्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर- 474002, को सूचनार्थ अग्रेषित।
4. महालेखाकार (2) मध्यप्रदेश, ग्वालियर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
5. श्रीमती रूचि सगर, चौबीसवें व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, जबलपुर को उनके आवेदन पत्र क्रमांक 197/न्यायालय/19, दिनांक 07.06.19, क्रमांक 195/2023, दिनांक 13.03.2023 एवं क्रमांक 151/2024, दिनांक 18.07.2024 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।
6. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को उनके ज्ञापन क्रमांक 3162/दो-16-04/2024, दिनांक 23.07.2024 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

7. डायरेक्टर, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
8. Registrar (I.T.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
9. रजिस्ट्रार जनरल के सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
10. प्रशासनिक अधिकारी, पेन्शन/ शिकायत/ वेतन निर्धारण (राजपत्रित)/ अग्रिम/ अवकाश (राजपत्रित)/ सिविल चेकर/ क्रिमिनल चेकर/ डी0ए0 (गोपनीय) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

टिप्पणी:- रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्र. Reg (IT) (SA) /2018/368, दिनांक 01/03/2018 के आलोक में संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे इस आदेश की प्रति डाउनलोड कर लें।

  
रजिस्ट्रार जनरल